कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-19.09.2023

हत्या की घटना कारित करने वाले वांछित अभियुक्तगण 1-अभिषेक सिंह उर्फ भोलू सिंह व 2-नितिन सिंह थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार, आलाकत्ल 01 अदद बेस बॉल स्टिक बरामद।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा घटनाओं के अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में, श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व में थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-399/2023 धारा 147,148,149,302,506,34,120बी,201 भादवि से संबंधित वांछित/नामजद अभियुक्तगण 01.अभिषेक सिंह उर्फ भोलू सिंह पुत्र भानूप्रताप सिंह उर्फ दीनू निवासी कमौली थाना चौबेपुर वाराणसी व 2.नितिन सिंह पुत्र संतोष सिंह उर्फ पिंटू सिंह निवासी कमौली थाना चौबेपुर वाराणसी जौनपुर को आज दिनांक-19.09.2023 को समय करीब 10.45 बजे चन्द्रा क्रासिंग से आगे तालाब के पास से गिरफ्तार किया गया व घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद बेस बाल स्टिक को बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि सौरभ यादव व हम लोगों के मध्य पुराने कई विवादो के कारण योजना के तहत हमने सौरभ यादव की रेकी करवाकर दिनांक-10/09/2023 को रात्रि में करीब 11 बजे सुरभि होटल के आगे रौनक सिंह, अश्वनी सिंह, धीरु सिंह व हम लोगो द्वारा स्कार्पियो से सौरभ यादव की गाड़ी को ओवरटेक कर, रुकवा कर सौरभ को घेर घार कर बेस बाल स्टिक से मारा गया था। हम लोगो को जब जानकारी मिली कि उसकी मृत्यु हो गयी है और आप लोग हमें तलाश कर रहे है तो हम लोग भागने की फिराक मे यहां पर वाहन का इंतजार कर रहे थे कि आप लोगो ने हमें पकड़ लिया।

अभियुक्त नितिन ने कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि जिस डण्डे से मैने सौरभ को मारा था, वह डण्डा मैने स्कार्पियों में ही छिपा दिया था और अभियुक्त अभिषेक सिंह ने बताया कि एक डण्डे से रौनक ने सौरभ यादव को मारा था जो मौके पर ही टूट गया था उस टूटे हुए डण्डे को रौनक ने चलती हुई गाडी से कही फेंक दिया था जो हम लोगों को मालूम नही है कि कहाँ फेंका था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

01.अभिषेक सिंह उर्फ भोलू सिंह पुत्र भानू प्रताप सिंह उर्फ दीनू निवासी कमौली थाना चौबेपुर वाराणसी, उम्र करीब 29 वर्ष ।

02.नितिन सिंह पुत्र संतोष सिंह उर्फ पिंटू सिंह निवासी कमौली थाना चौबेपुर वाराणसी जौनपुर, उम्र करीब 20 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण- घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद बेस बाल स्टिक बरामद ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरणः-

1.प्र0नि0 बृजेश कुमार सिंह थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

2.उ0नि0 अजय कुमार यादव थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

3.का0 सौरभ तिवारी थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

4.हे0का0 रामानन्द यादव थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

5.हे0का0 रामबाबू थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

6.का0 आलोक मौर्या थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

7.का0 मोहित मीणा थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

8.उ0नि0 महेश मिश्रा थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

9.का0 सुरेश शुक्ला थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।